न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

अपील प्र0 क0 762 एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 02-02-11 पारित अपर आयुक्त जबलपुर सभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 424/अ-6/08-09 अपील

हरिमिलन पिता स्व झाऊलाल ढिमोले
नि0 मनकेडी तह0 शाहपुरा
जिला जबलपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- राजकुमारी बाई पिता स्व लक्ष्मीप्रसाद ढिमोले
बेवा शिवप्रसाद दुबे नि0 चौचली तह0 करेली
जिला नरसिंहपुर
2- शशिबाई पिता स्व लक्ष्मीप्रसाद ढिमोले
पत्नि डा0 महेन्द्र शुक्ला नि0 रहली जिला सागर
हाल मुकाम मनकेडी तह0 शाहपुरा जिला जबलपुर
3- गीताबाई पिता स्व लक्ष्मीप्रसाद ढिमोले
निवासी हाल मुकाम मनकेडी तह0 शाहपुरा
जिला जबलपुर म0प्र0 --- अनावेदकगण

श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक – आवेदक
श्री मनीत दुबे, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 05-09-2014 को पारित)

यह अपील का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त जबलपुर सभाग जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 424/अ-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 02-02-11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि त्रुटिवश उनक द्वारा निगरानी के स्थान पर अपील प्रस्तुत की

गयी है। अतः उसे निगरानी में परिवर्तित किया जाय। उनके इस तर्क से अनावेदक अभिभाषक भी सहमत हैं। न्यायहित में आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार किया जाकर अपील को निगरानी में परिवर्तित करने के आदेश दिये जाते हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मनकेडी स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 4.81 एवं मौजा खेरी स्थित भूमि ख0नं0 35 रकबा 0.86 है पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र आवेदक हरिमिलन ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में लक्ष्मीप्रसाद के नाम अंकित थी। तहसीलदार ने दिनांक 27 10 08 को प्रकरण पंजीबध्द कर इश्तहार जारी करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29--11--08 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक राजकुमारीबाई एवं शशिबाई पिता स्व लक्ष्मीप्रसाद व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27 1 09 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जिसमें विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना दर्शाया। अपील में फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराने तथा मृत लक्ष्मीप्रसाद व्दारा उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयत निष्पादित किये जाने का उल्लेख किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20 03--09 व्दारा अपील 12 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की जाने के आधार पर खारिज की। अनावेदकगण व्दारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 02--02--11 व्दारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है और प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक हरिमिलन व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विध्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि समयावधि विधान के आवेदन में अनावेदकगण ने यह उल्लेख नहीं किया है कि तहसील आदेश की

जानकारी [illegible] से किस दिनांक को हुई। उनका तर्क है कि विलम्ब को तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समुचित कारण बताया जाय। अपर आयुक्त ने अपील समयावधि में मानने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय ने विधिवत इश्तहार प्रकाशित कर आपत्तियॉं आमंत्रित की थी, फिर भी किसी भी हितबध्द पक्षकार व्दारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। प्रश्नाधीन भूमि लक्ष्मीप्रसाद के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज थी तथा वसीयतकर्त्ता लक्ष्मीप्रसाद ने वसीयत मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपनी पत्नि एव बच्चो को जमीन बटवारे मे दे दी है और उनकी निजी सम्पत्ति को पुत्र नही होने से अपने भतीजे जो सेवा--खुशामद कर रहे है और अंतिम कियाकर्म भी भतीजे हरिमिलन ही करेगें। उनका तर्क है कि वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित है तथा वसीयत एवं वसीयत के आधार पर किये गये नामान्तरण की जानकारी अनावेदकगण को थी। अतः उन्होने मेरा ध्यान 1992 रा.नि 289, 1995 रा.नि 306, 2013 रा.नि 192, 1993 रा.नि 73, 1988 एमपी वीकली नोट नोट न0 149 तथा एमपी वीकली नोट 1989 नोट न0 211 की ओर आकर्षित कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क0–1 एवं 2 मृत लक्ष्मीप्रसाद के पुत्रियॉं है तथा अनावेदक क0–3 मृत लक्ष्मीप्रसाद की बेवा पत्नि हैं। तहसील न्यायालय व्दारा अनावेदकगण हितबध्द पक्षकार होते हुए भी बिना सूचना दिये फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण किया गया है। मृत लक्ष्मीप्रसाद व्दारा अनावेदक क0 1 एवं 2 के पक्ष मे पंजीकृत वसीयत निष्पादित की गयी है। उनका तर्क है कि नामान्तरण के पूर्व हितबध्द पक्षकार पर सूचनापत्र तामील किया जाना आवश्यक है। अनावेदक शशिबाई को नामान्तरण आदेश की जानकारी शाहपुरा आने पर हुई। उनका तर्क है कि तहसील न्यायालय व्दारा इश्तहार भी विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया बल्कि इश्तहार प्रकाशन की खानापूर्ति की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी निरस्त कर वारिसान हक मे अनावेदकगण के नाम नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत स्याद अधिनियम की धारा 5 मे यह अंकित किया गया है कि आदेश की जानकारी तब प्राप्त हुई जब वह तहसील शाहपुरा आयी, किन्तु किस दिनांक को और किस श्रोत से नामान्तरण की जानकारी प्राप्त हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सत्य–प्रतिलिपि मे अंकित सील से ज्ञात होता है कि आदेश की सत्य–प्रतिलिपि अनावेदक को दिनांक 24–01–09 को प्राप्त हो चुकी थी। सत्य–प्रतिलिपि प्राप्त हो जाने के पश्चात भी अनावेदक द्वारा 27–01–09 अर्थात 3 दिन बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और इन तीन दिनो के विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। राजरानी वि शिवनारायण सिंह तथा अन्य (1995 रा.नि 306) मे राजस्व मण्डल ने यह व्यवस्था दी है कि –

"भू–राजस्व संहिता 1959– धारा 47 तथा 44– समय वर्जित अपील– विलम्ब की माफी हेतु आवेदन– आदेश की जानकारी का श्रोत नहीं दर्शाया गया– प्रत्येक दिन के विलम्ब के विषय मे स्पष्टीकरण नही– विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।"

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा वि काशीनाथ शर्मा (1993 रा.नि 73) में भी राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया– विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। लगरी तथा अन्य वि छोटा तथा अन्य (1992 रा.नि 289) मे मान उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि –

धारा 5 व्याप्ति– अधिकारिता की प्रकृति – वैवेकिक है– पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नही है– पर्याप्त कारण का सबूत– अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है– न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता।"

म0प्र0 राज्य वि शान्तीबाई (1989 एक एम पी वीकली नोट, नोट न0 211) मे भी मान उच्च न्यायालय द्वारा यही व्यवस्था दी है कि विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाने पर विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता।

ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं विलम्ब माफी का पर्याप्त कारण नहीं होने से अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज करने मे कोई त्रुटि नही की गयी थी। विद्वान अपर आयुक्त ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील स्वीकार की है और विलम्ब को माफ किया है। अनुविभागीय अधिकारी के विवेकाधीन आदेश मे अपील मे हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख सम्मत ना हो और प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया गया हो किन्तु विद्वान अपर आयुक्त ने इस संबध में कोई निष्कर्ष निकाले बिना अपील स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया गया है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनाक 02-02-11 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनाक 20-03-09 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.